20/9/17 दिनांक 20/9/17 को पेश हो

(हस्ताक्षर)

उपखण्डाधिकारी

(...)

3/17 अन्य/ अग्रवालिह 2017/00004

15/6/17	आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत मुख्यालय शिविर पर पेश हुई कार्यवाही नहीं हो सकी पत्रावली दिनांक 20/9/17 को पेश हो (हस्ताक्षर)	
20/9/17	वकील साहब प्रार्थी/ गैरसायलान की ओर से कोई उपस्थित नहीं। गैरसायलान के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है आवेदक प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी/ पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 5.10.17 को पेश हो (हस्ताक्षर)	
5-10-17	वकील सायल उप० पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। सायल के कथनानुसार विवादित आराजी के खातेदार कृषक सायलान है। गैरसायलान का विवादित आराजी से ऐसा कोई संबंध व सरोकार नहीं है। विवादित आराजी पर गैरसायल द्वारा कुछ भाग पर कब्जा कर लिया है। जिस पर वह निर्माण करने पर उतारू (हस्ताक्षर)	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
है अगर गैरसायल अपने उद्देश्य में सफल हो गया तो सायलान को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना सम्भव नही होगा। वकील सायलान द्वारा अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RBJ 2016 पेज 468 पेश किया। हमने वकील सायलान की तदुपहतीय बहस सुनी व उस पर मनन किया तथा प्रा०पत्र पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। प्रा० पत्र पर संलग्न दस्तावेजो से भी वकील सायलान के कथन सिद्ध होते है कि सायलान ही विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार है। उभय पक्ष को पाबन्द करना उचित समझते है। अतः आदेश किया जाता है कि उभय पक्ष को मूल वाद के निस्तारण तक पाबन्द किया जाता है कि वह विवादित आराजी ख०न० 2629, 2652, 2650 2653, 2630 वाके ग्राम खैपड़ न०। पर मौके की यथास्थिति बनाये रखे। परवाना जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये